

पत्रांक - 1130 / 02 व्यघ-सामान्य / 18

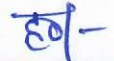
दिनांक 21 / 12 / 2022

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के शासकीय पत्र संख्या 1586 / 111(1) / 21-01(10)अधि0 / 2021 दिनांक 17.08.2021 द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम के निर्माण/पुनर्निर्माण कार्यो के सुचारु संचालन एवं निर्धारित समयान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु तकनीकी (सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता) एवं गैर तकनीकी/सहायक कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकृत किया गया है।

अतः उपरोक्त प्राप्त अधिकारों के तहत श्री ताजवर सिंह लिंगवाल, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को कार्यहित में उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय से तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी में तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

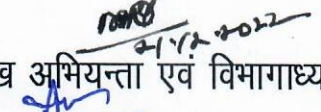


(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/हल्द्वानी।
4. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय/सातवों वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल/गोपेश्वर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल/गुप्तकाशी।
7. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांक -1131 /02 व्यघ-सामान्य/18

दिनांक 21 /12/2022

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के शासकीय पत्र संख्या 1586/111(1)/21-01(10)अधि0/2021 दिनांक 17.08.2021 द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम के निर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों के सुचारु संचालन एवं निर्धारित समयान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु तकनीकी (सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता) एवं गैर तकनीकी/सहायक कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकृत किया गया है।

अतः उपरोक्त प्राप्त अधिकारों के तहत श्री मौ0 इकराम, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट को कार्यहित में उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय से तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी में तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

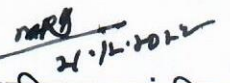


(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय/सातवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/गोपेश्वर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट/गुप्तकाशी।
7. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक - 1132/02 व्यघ-सामान्य/18

दिनांक 21/12/2022

"कार्यालय ज्ञाप"

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1027/02व्यघ-सामान्य/18 दिनांक 22.11.2022 द्वारा श्री संजय कठैत, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर का स्थानान्तरण श्री केदारनाथ धाम के निर्माण/पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु कार्यहित में निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी किया गया है।

श्री संजय कठैत, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके घुटने Osteoarthritis/ACL Tear Grade-2 बीमारी से पीड़ित है। एम्स, ऋषिकेश के चिकित्सक द्वारा भी उक्त विषयक प्रमाण-पत्र निर्गत गया है। श्री संजय कठैत, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के द्वारा उपरोक्त के दृष्टिगत स्थानान्तरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1027/02व्यघ-सामान्य/18 दिनांक 22.11.2022 द्वारा श्री संजय कठैत, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी में किए गए स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

हस्ताक्षर-

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, 07 वॉ/08 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर/टिहरी।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर/गुप्तकाशी।
7. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
21/12/2022



पत्राक - 1133/02 व्यघ-सामान्य/18

दिनांक 21 /12/2022

"कार्यालय ज्ञाप"

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1026/02व्यघ-सामान्य/18 दिनांक 22.11.2022 द्वारा श्री रूपेश भट्ट, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर का स्थानान्तरण श्री केदारनाथ धाम के निर्माण/पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु कार्यहित में निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी किया गया है।

श्री रूपेश भट्ट, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अपने पत्र दिनांक रहित द्वारा माताजी के स्वास्थ्य खराब रहने तथा पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत स्थानान्तरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1026/02व्यघ-सामान्य/18 दिनांक 22.11.2022 द्वारा श्री रूपेश भट्ट, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी में किए गए स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

हस्ता-

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, 07 वॉ/08 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर/टिहरी।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर/गुप्तकाशी।
7. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
21/12/2022